उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या : सा–3–40 वी०आई०पी० / दस–2009–308-97टी०सी०

लखनऊ : दिनांक 11 जनवरी, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

शुद्धि-पत्र

वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01–01–2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों की पेंशन / ग्रेच्युटी / पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण से संबंधित राज्य सरकार के कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1508 / दस 2008–308-97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त उल्लिखित कार्यालय–ज्ञाप के प्रस्तर–7(1) के अंश "दिनांक 01–01–2006 से तथा उसके उपरान्त के प्रकरणों में 07 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है", के स्थान पर "दिनांक 01–01–2006 से 07 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है, 10 वर्ष की अवधि सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख से गिनी जायेगी। परन्तु 10 वर्ष की अवधि उस मामले में लागू नहीं होगी जहाँ बढ़ी हुई कुटुम्ब पेंशन की 07 वर्ष की अवधि पहले ही दिनांक 01–01–2006 को पूरी हो गयी थी और परिवार को दिनांक 01–01–2006 को सामान्य कुटुम्ब पेंशन प्राप्त हुई थी", पढ़ा जाये।

(2) उपरोक्त कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1508 / दस–2008–308-97, दिनांक 08–12–2008 की संबंधित व्यवस्था इस सीमा तक संशोधित समझी जाए।

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव वित्त।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उ०प्र०।
(2) समस्त कोषाधिकारी, उ०प्र०।
(3) समस्त जिला अधिकारी, उ०प्र०।

स्थानीय पेंशनरों के संघटनों को देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियाँ (कार्यालय सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाए) (प्रत्येक को 50 प्रतियाँ)
(कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु पाँच प्रतियाँ)।

संख्या-सा-3-40 वी०आई०पी०(1)/दस-2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिवालय के समस्त अनुभाग।	प्रत्येक को एक प्रति
2- सचिव, विधान सभा, परिषद, विधान भवन, लखनऊ।	-5 प्रतियाँ-
3- निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।	-5 प्रतियाँ-
4- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।	-5 प्रतियाँ-
5- सूचना निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।	-5 प्रतियाँ-
6-मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।	-5 प्रतियाँ-
7-मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।	-5 प्रतियाँ-
8-वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।	-5 प्रतियाँ-
9-उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।	-5 प्रतियाँ-
10-इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।	-5 प्रतियाँ-
11- मुख्य लेखाधिकारी, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, बिक्री कर विभाग खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वन विभाग, लखनऊ।	-5 प्रतियाँ-
नागरिक उड्यन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कारागार उ०प्र०, लखनऊ निबन्धक सहकारी समितियाँ, उ०प्र० महानिरीक्षक, होमगार्डस, उ०प्र० प्रशासकीय प्रशिक्षण, संस्थान नैनीताल आबकारी विभाग इलाहाबाद, श्रम विभाग, कानपुर, लोक सेवा आयोग उ०प्र० इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उ०प्र० लखनऊ, महानिदेशक, स्वास्थ्य, उ०प्र० लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल कालेज मेरठ, मेडिकल कालेज, झाँसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।	

आज्ञा से,
हेमन्त कुमार सक्सेना,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 81 सा० वित्त-15-1-2010-(2036)-5,000 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)।